प्रेस नोट
दिनांक–18.09.2024

आज दिनांक 18.09.2024 को श्री आलोक सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा उ0प्र0 सरकार के अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो–टॉलरेंस की नीति को प्राथमिकता में रखते हुए सफल पर्यवेक्षण एवं कार्यवाही के उद्देश्य से जोनल कार्यालय सभागार कक्ष में श्री जोगेन्द्र कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर, श्री कलानिधि नैथानी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी एवं कानपुर जोन के समस्त जनपद प्रभारी (कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फतेहगढ़, झांसी, जालौन व ललितपुर) व अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ समीक्षा गोष्ठी आहूत की गयी, जिसमें जनपद प्रभारियों द्वारा अपने–अपने जनपदों की कानून–व्यवस्था, अपराध अवसंरचना तथा अपने द्वारा किये गये नवीन प्रयोग के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा आगामी त्योहारों नवरात्रि, दशहरा व दीपावली आदि के दृष्टिगत कानून एवं शान्ति–व्यवस्था की समीक्षा की गयी। त्योहारों सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सम्पन्न होने के दृष्टिगत विशेष सतर्कता/सजगता बरतने एवं पर्याप्त पुलिस/पीएसी बल की नियुक्ति कर समुचित सुरक्षा–व्यवस्था कराने के निर्देश दिये गये, जिससे कि कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटित न हो पाये एवं कानून–व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।

उ0प्र0 शासन द्वारा जनसमस्याओं के गुणवत्तापूर्ण त्वरित निस्तारण हेतु संचालित जनसुनवाई समाधान प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर प्राप्त जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0 की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गयी। आई0जी0आर0एस0 पोर्टल में प्राप्त शिकायतों के सफल एवं त्वारित निस्तारण में जनपद फतेहगढ़ के सभी 16 थानों, ललितपुर के सभी 16 थानों, कन्नौज के सभी 11 थानों, झांसी के 24, इटावा 19, औरैया के 08, जालौन के 06 एवं कानपुर देहात के 03 थानों को प्रथम रैंक प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किये जाने तथा जनपद इटावा के थाना चौबिया एवं भरेह, जनपद औरैया के थाना कुदरकोट एवं महिला थाना, जनपद कानपुर देहात के थाना अमराहट एवं बरौर, जनपद जालौन के थाना रेंढ़र, कोंच, एट व माधौगढ़ प्रभारियों द्वारा खराब प्रदर्शन किए जाने पर व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी देने के निर्देश दिये गये।

महिलाओं/बच्चियों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु महिला हेल्पलाइन–1090 में प्राप्त सूचनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु परिक्षेत्रीय प्रभारी एवं जनपद प्रभारियों द्वारा एक विशेष टीम का गठन कराने व स्थलीय निरीक्षण कराते हुए तत्काल मौके पर ही प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया। थाना स्तर पर महिला बीटों का पुर्नगठन करते हुए बीटों पर महिला उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी नियुक्ति की जाए एवं महिला कर्मियों की अनुप्लब्धता की स्थिति में पुरूष उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी नियुक्ति की जायें। महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वाले अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। महिलाओं के साथ घटित सभी प्रकार की घटनाओं में समयबद्ध रूप से यथाशीघ्र कन्विक्शन की कार्यवाही कर सम्बन्धित अपराधी को कठोर दण्ड दिलवाने एवं पंजीकृत अभियोगों का यथाशीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये। ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी, सनसनीखेज/जघन्य अपराधों, माफियाओं एवं अन्य में कुल 2910 प्रकरणों में कठोर सजा करायी गयी है।

गोवध एवं गौ–तस्करी के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 127 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 44

अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर अधिनियम व 13 अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही की गयी तथा 17 अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोलकर कड़ी निगरानी करायी जा रही है। गौ–तस्करी के अवैध प्रयोग में लाए जाने वाले 15 वाहनों को सीज कराया गया है। इसी प्रकार मादक पदार्थों के व्यवसाय एवं आबकारी तथा अन्य विशेष अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए 699 प्रकरणों में 2710 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही कर उनके द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गयी लगभग 13 अरब की सम्पत्ति जब्त कराएं जाने की कार्यवाही की गयी है।

यू0पी–112 परियोजना के अर्न्तगत जनता को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु चलायी गयी डॉयल–112 सेवा के तहत संचालित पीआरवी वाहनों के रिस्पांस टाइम का परिशीलन करने पर जनपद औरैया का औसत रिस्पांस टाइम जोन के अन्य जनपदों की अपेक्षा असंतोषजनक पाये जाने पर जनपद औरैया को रिस्पांस टाइम में और सुधार करने के कड़े निर्देश समेत समस्त जनपदों को रिस्पांस टाइम और बेहतर करने के निर्देश दिये गये।

जोन के अधीनस्थ जनपदों में पुरूस्कार घोषित/वांछित अपराधियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही की समीक्षा करते हुए टीम गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाये जाने एवं जनपद स्तर पर टॉप–10 अपराधियों की सूची में गोवध/गौ–तस्कर, सट्टा तथा भूमि पर अवैध कब्जेदारी करने वाले अपराधियों को टॉप–10 की सूची में चिन्हित करने तथा पूर्व से टॉप–10 की सूची में चिन्हित ऐसे अपराधी जिनके विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है या अपराधी जेल में है, उन अपराधियों को सूची से पृथक कर नये सक्रिय अपराधियों को टॉप–10 की सूची में लाकर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आवश्यक प्रभावी विधिक कार्यवाही करायी जाये।

जनपद स्तर पर ऐसे अभियोग जिनका अनावरण अभी तक नही हो सका है, टीम का गठन कर अभियोग का शीघ्र अनावरण कर गुण–दोष के अधार पर सफल निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया है तथा डकैती, लूट, चोरी, वाहन चोरी, गृह–भेदन आदि में चोरी/लूटी गयी सम्पत्ति की शत–प्रतिशत बरामदगी करने तथा जनपद कन्नौज के थाना कोतवाली कन्नौज व थाना ठठिया में हुयी डकैती में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी कराएं जाने हेतु टीम गठित कराकर जनपद प्रभारी कन्नौज व उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 मुख्यमन्त्री जी के जनता दर्शन के दौरान जनपद कानपुर देहात के सर्किल रसूलाबाद के थाना रसूलाबाद, शिवली एवं सर्किल अकबरपुर के थाना अकबरपुर, रनियां, जनपद इटावा के सर्किल भरथना के थाना बकेवर, भरथना जनपद कन्नौज के सर्किल नगर के थाना कोतवाली, गुरसहायगंज, जनपद फतेहगढ के सर्किल कायमगंज के थाना कायमगंज, थाना कम्पिल एवं जनपद झॉसी के मऊरानी के थाना मऊरानीपुर एवं सर्किल नगर का थाना नवाबाद , जनपद जालौन के थाना माधौगढ थाना गोहन, जनपद ललितपुर के सर्किल सदर के थाना कोतवाली के सर्वाधिक संख्या में शिकायतकर्ता लखनऊ व गोरखपुर पहॅुचे हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि थाना प्रभारियों व क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रभावी ढंग से जनसुनवाई नही की जा रही है। इस सम्बन्ध में जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी सप्ताह में दो दिन थाना कार्यालय पर उपस्थित रहकर जनसमस्याओं की सुनवाई कर समस्याओं का त्वरित निराकरण करायें ।

अवैध शराब/अवैध जहरीली शराब एवं अवैध ड्रग्स से सम्बन्धित कार्यो में लिप्त अपराधियों से हुयी बरामदगी के सम्बन्ध में उनके स्रोत की गहराई से जानकारी कर बेचने वाले/खरीदने वाले/वाहन स्वामी/वाहन चालकों एवं उनको संरक्षण/आश्रय देने वालों के विरूद्ध समग्र रूप से कठोर विधिक कार्यवाही करायी जाए।

वर्तमान परिदृश्य में अपराधियों द्वारा नये–नये तरीके अपनाकर साइबर अपराध निरन्तर घटित किये जा रहे है, इस सम्बन्ध में साइबर विशेषज्ञों से समन्वय स्थापित कर जन–जागरूकता अभियान चलाते हुए साइबर हेल्पलाइन नम्बर–1930 का व्यापक प्रचार–प्रसार करने तथा एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर दर्ज शिकायतों एवं अभियोगों की लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण कराए जाने व पीड़ित की शत्–प्रतिशत धनराशि की बरामदगी सुनिश्चित कराए जाने हेतु जनपद प्रभारियों तथा परिक्षेत्रीय प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

समीक्षा के दौरान जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहार/राष्ट्रीय पर्व के पूर्व जनपद के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही पर विशेष बल दिया जाये, जिससे कि अपराधियों के हौसले बुलंद न होने पाये। वर्तमान परिदृश्य में कानून एवं शान्ति–व्यवस्था के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन/रेल पटरियों एवं रेलवे सीमान्तर्गत किसी प्रकार की कोई जनहानि/धनहानि सम्बन्धी घटना घटित न होने पाए। इस सम्बन्ध में राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विशेष अभियान चलाकर चेकिंग कराए जाने एवं किसी प्रकार की संदिग्ध/आपत्तिजनक वस्तु आदि पाए जाने पर ऐसे कृत्यों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कराए जाने व निरन्तर सजग/सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिये गए है। साथ ही रेलवे स्टेशन एवं रेलवे ट्रैक पर घटनाओं की रोकथाम व सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जनसमन्वय स्थापित कर एवं अभिसूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए शान्ति एवं कानून–व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।